राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चिअ/एस–1938/2021/ दिनांक :

–:: आदेश ::–

डॉ. सुरेन्द्र नाथ सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी(जन्म तिथि 27.03.1967) एस.एम.बी. चिकित्सालय, सुजानगढ, चुरू की दिनांक 12.11.2011 से निरन्तर राज्य सेवा में स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रिया अपनाते हुए चिकित्सक की अनुपस्थिति तिथि 12.11.2011 से राज्य सेवा एतद् द्वारा समाप्त की जाती हैं।

यह आदेश राज्य सरकार के आई.डी. क्रमांक 344 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चिअ/एस–1938/2021/ 283 दिनांक : 25-03-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.6(1)चिस्वा/2/2021/एस–1938 दिनॉक 0903.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, जिला–चुरू को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि संलग्न आदेश की प्रति संबंधित चिकित्सक को अग्रेषित कर प्राप्ति रसीद निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें। **(रजिस्टर्ड)**
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी,ए.टी.सी./डी.पी.सी./गोपनीय प्रकोष्ठ(राजपत्रित)मुख्यालय।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय प्रकोष्ठ (राजपत्रित) मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. डॉ. सुरेन्द्र नाथ सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी पुत्र श्री उपेन्द्र नाथ सक्सैना, नया बाजार चौक के पास, सुजानगढ, जिला–चुरू **(रजिस्टर्ड)** मो0 9782229559
7. सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर उपलोड कराने का श्रम करें।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी को हाँ तम्बाकू नहीं।